



2026:AHC:54286

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 767 वर्ष 2026

मंगरू

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता हेतु अधिवक्ता : राज कुमार वैश्य, सचिन श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी हेतु अधिवक्ता : सी.एस.सी., प्रदीप सिंह

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. कुछ तर्कों के पश्चात, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस प्रार्थना के साथ वर्तमान याचिका को 'वापस लिए जाने' के आधार पर खारिज करने का अनुरोध किया गया है कि उन्हें नवीन याचिका दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा इस प्रार्थना का विरोध नहीं किया गया है।
3. तदनुसार, रिट याचिका, मांगी गई स्वतंत्रता के साथ, वापस लिए जाने के आधार पर खारिज की जाती है।
4. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रति, अभिलेख में उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखने के पश्चात, वापस कर दे।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

16 मार्च, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सुषमा

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।